



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2011/आश्विन 7, 1933

No. 549]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2011/ASVINA 7, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 732(अ).—भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 540(अ) के अंग्रेजी पाठ में जिसमें पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, समूह 'क' पदों के भर्ती नियम, 2011 को अधिसूचित किया गया है, में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

- (i) अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ के कॉलम 3 में शब्द "posrs" को शब्द "posts" पढ़ा जाए।
- (ii) उप निदेशक पद हेतु क्रम संख्या 2, अनुसूची के कॉलम 4 में "वेतन बैंड 3 ₹ 15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600" को "वेतन बैंड-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 3/3/98-प्रशा-1]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th September, 2011

G.S.R. 732(E).—In English version of the Government of India, Ministry of Shipping Notification No. 540(E), dated 15th July, 2011 notifying the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2011, the following shall be substituted :—

- (i) In column 3 notification of English version the word "posrs" may be read as "posts".
- (ii) At S. No. 2 for the post of Deputy Director, in col. 4 of the Schedule, "Pay Band-3 ₹ 15600-39100+Grade Pay ₹ 7600" may be read as "Pay Band-3, ₹15600-39100+Grade Pay ₹ 6600".

[F. No. 3/3/98-Admn-1]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.